

fgekpy in:'k ljdkj
अग्निशमन लोक, foHkkx

संख्या:-होम-बी(बी) 3-3/95 अग्नि तारीख शिमला-2, 04-09-2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या होम बी (बी)3-3/95, अग्नि तारीख 28-06-2017 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में स्थानीय अग्निशमन अधिकारी वर्ग-III, (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय भर्ती और प्रोन्नति नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। - 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग, स्थानीय अग्निशमन अधिकारी वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2). ये नियम राजपत्र/ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध- "क"
का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं
विभाग, स्थानीय अग्निशमन अधिकारी वर्ग-III,
(अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और
प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध -"क" में,
(क) स्तंभ संख्या 15, के सामने विद्यमान
उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित
रखा जाएगा, अर्थात् :-

"सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति
के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न
परिशिष्ट-। में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार
मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण
के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति,
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती
अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या
समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा
(वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या
दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार
इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट -। में यथा
विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्

लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।” ; और

(ख) स्तम्भ संख्या 15क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्, हिमाचल प्रदेश लोक

सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन
आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती
अभिकरण/प्रधिकरण द्वारा अवधारित किया
जाएगा "।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं०: होम बी(बी)3-3/95-अग्नि तारीख शिमला-2 04-09-2017

पृष्ठांकन निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला-02।
3. निदेशक अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला-01।
4. नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-5
5. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।

हस्ताक्षरित/-

विशेष सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

परिशिष्ट-।

वर्ग-III पद के लिए

1.	<p>लिखित परीक्षा</p> <p>{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 (पचास) प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।</p>	85 अंक
2.	<p>अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-</p> <p>i) भर्ती और प्रान्ति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक</p> <p>{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 X 0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}।</p> <p>ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक</p> <p>iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक</p> <p>iv) इस प्रभाव का गैर- नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक</p> <p>v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक</p> <p>vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक</p> <p>vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/- रूपए से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक</p> <p>viii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक</p> <p>ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक</p> <p>x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से</p>	15 अंक

	<p>आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक</p> <p>xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक</p>	
--	--	--

(Authoritative English Text of this Department Notification No.Home-B(B)3-3/95-Fire Dated ----- as required under article 348(3) of the Constitution of India).
.....

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FIRE SERVICES

No. Home-B (B)3-3/95-Fire Dated: Shimla -171002, the 04-09- 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Fire Services Department, Station Fire Officer, Class-III (Non- Gazetted)Non-Ministerial, Recruitment and Promotion Rules, 2017, notified vide this Department Notification No. Home-B(B)3-3/95–Fire dated 28-6-2017, namely :-

Short title and commencement	1. (1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Fire Services Department, Station Fire Officer, Class-III(Non- Gazetted)Non Ministerial, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2017.
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette of Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-“A”	2.	In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh, Fire Services Department, Station Fire Officer , Class-III (Non- Gazetted) Non Ministerial,

<p>(a)</p>	<p>Recruitment and Promotion Rules,2017:-</p> <p>For the existing provisions against “Column No. 15, the following shall be substituted, namely:-</p> <p>“Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in <u>Appendix-I</u> appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in <u>Appendix-I</u> appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.”;and</p>
<p>(b)</p>	<p>For the Existing provisions against col. No. 15 –A(iv), the following shall be substituted, namely:-</p> <p>“Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in <u>Appendix-I</u> appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test</p>

	or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency / authority, as the case may be. “
--	---

By Order
Sd/-

Principal Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Home- Home-B(B)3-3/95-Fire Dated Shimla-2, the 04-09-2017

Copy forwarded to :-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla-2 along with 2 spare copies.
3. The Director General, Home Guards, Civil Defence & Fire Services, Himachal Pradesh, Shimla-1 for information and necessary action with 5 spare copies.
4. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5.
5. The Deputy Legal Remembrance-cum-Dy. Secy. (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
6. Guard file.

Sd/-

Spl. Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh

APPENDIX-I
FOR CLASS-III POST

1.	<u>WRITTEN TEST</u> {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}	85 marks
2.	<p>Evaluation of candidate to be made in the following manner:-</p> <p>i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks</p> <p>{Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}</p> <p>ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. = 01 Mark</p> <p>iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. = 01 Mark</p> <p>iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. = 01 Mark</p> <p>v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. = 01 Mark</p> <p>vi) NSS(atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. = 01 Mark</p>	15 marks

	<p>vii) BPL family having annual income(from all sources) below Rs. 40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. = 02 Mark</p> <p>viii) Widow/divorced/destitute/single woman. = 01 Mark</p> <p>ix) Single daughter/Orphan = 01 Mark</p> <p>x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. = 01 Mark</p> <p>xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) = 2.5 Marks</p>	
--	--	--